मांगीलाल
किशनलाल
RTI प्रार्थी

दिनांक 27-6-2018

प्रजामुली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाली मे पेश हुई। पक्षकार

Champalal Bhati

को लोक अदालत के जारी नोटिस बाद तामील प्रोसेस प्राप्त हुये, जो

अ. किशनाराम

शामिल मिसल है। प्रार्थी बाहर होने से

अ. प्रेमनाराम

मात उपस्थित। अप्रार्थी टिकमाराम चम्पालाल, मनाराम, कस्तु व बाबुलाल उपस्थित। अप्रार्थी बाबुलाल ने प्रा पत्र पेश कर

RTI कस्तुराम
मेघाराम

निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते मेसे नया रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया है उसी रास्ते बाबत पक्षकारो के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है। जिस वाद के निस्तारण के पश्चात ही उक्त प्रा पत्र पर कार्यवाही होगी। बाबुलाल द्वारा प्रस्तुत प्रा पत्र की नकल प्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृतपारीहार को दिलाई गई। जिनके द्वारा एक नया तथ्य प्रकट किया कि प्रा पत्र मे वर्णित भूमि व विभाजन के वाद मे वर्णित भूमि के संबंध मे राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रा पत्र पर वर्ष 2006 से स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा पारित है। जिसके अनुसार सरकार v/s पुनीबाई आदि है।

तारीख हुक्म

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से

से यह जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा

जिला राजस्व पाली के खसरा नम्बर

1568 रकबा 0-67 हेक्टर में आम रास्ता

के लिये नवीन रास्ता उपलब्ध कराये

जाने का निवेदन किया है। यह भूमि

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त

सह खातेदारी की भूमि है, जिसके

संबंध में विभाजन का वाद लंबित

है, तथा धारा 136 LRAct के तहत

तहसीलदार पाली द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र

के ~~संबंध~~ पर धारा 151 के प्रा पत्र में

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की

पारित है। अतः न्यायालय के स्थगन

आदेश के प्रभावी रहते व विभाजन के

वाद के लंबित रहते प्रार्थीगण के

प्रार्थना पत्र अनुसार धारा 251 (A)

RJA के तहत किसी प्रकार का अनुतोष

दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा

251(A) RJA खारिज किया जाता

है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर

से कम हो।

उप - खण्ड अधिकारी, पाली